"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2014— माघ 8, शक 1935

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 जनवरी 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-09/2014/वा. कर (आब.)/पांच (03). — छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 (यथासंशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

1. **उक्त नियमों में :-**

(1) नियम 2 के उप-नियम (8) के पश्चात् नया उप-नियम (9) स्थापित किया जावे, अर्थात् :-
2(9)-ऑन-लाईन (on line) :- ऑन-लाईन (on line) से अभिप्रेत है, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी कम्प्यूटर या उपकरण को किसी नेटवर्क (इंटरनेट) से जोड़कर अन्य कम्प्यूटर या उपकरण में उपलब्ध डाटाबेस, फाईल या वेबपेज आदि को डाउनलोड करना, पढ़ना, उपयोग हेतु तैयार करना अथवा उपयोग करना.

(2) नियम 6 में शब्द समूह "आवेदनकर्ताओं के द्वारा" के पश्चात् शब्द समूह "ऑन-लाईन" जोड़ा जावे. शब्द समूह "एवं शपथ पत्र" को विलोपित किया जावे तथा शब्द समूह "प्रोसेस फीस रुपये" के पश्चात्, अंक तथा शब्द समूह "5000 ई-पेमेंट के माध्यम से" जोड़ा जावे.

(3) नियम 8(क) में शब्द समूह "अनुज्ञापन प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द समूह "आबकारी आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" प्रतिस्थापित किया जावे, तथा शब्द समूह "इस निमित्त आवेदन" के पश्चात् शब्द समूह "ऑन-लाईन" जोड़ा जावे.

(4) नियम 8(ख) में शब्द समूह "सहायक आयुक्त आबकारी" के पूर्व, शब्द समूह "जिले के उपायुक्त आबकारी" अंत:स्थापित किया जावे तथा नियम के अंत में शब्द समूह "प्रदर्शित की जावेगी" के पश्चात् शब्द समूह "तथा आबकारी विभाग की वेबसाईट, www.excise.cg.nic.in पर भी उपलब्ध कराई जावेगी" जोड़ा जावे.

(5) नियम 8(ग) में शब्द समूह "निर्धारित प्रारूप में" के पश्चात् शब्द समूह "ऑन-लाईन" जोड़ा जावे. शब्द समूह "एवं शपथ पत्र" को विलोपित किया जावे तथा शब्द समूह "संबंधित जिले के अनुज्ञापन प्राधिकारी को" के स्थान पर शब्द समूह "(ई-पेमेंट के माध्यम से)" प्रतिस्थापित किया जावे.

(6) नियम 8(घ) में शब्द समूह "आवेदन प्राप्ति के लिए नियत किया जाने वाला अंतिम दिनांक" के पूर्व शब्द समूह "ऑन-लाईन" अंत:स्थापित किया जावे तथा शब्द समूह, "प्रकाशित कराया जा सकेगा" के पश्चात् शब्द समूह "एवं जिसे आबकारी विभाग की वेबसाईट, www.excise.cg.nic.in पर भी उपलब्ध कराया जावेगा" जोड़ा जावे.

(7) नियम 9(ख) के स्थान पर निम्नांकित नियम 9(ख) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

"9 (ख) इस नियम के खण्ड (क) के उप-खण्ड (1) से (9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता चयन की सूचना के तीन कार्यदिवस के भीतर, विहित प्रारूप में अपने प्रमाणित फोटोग्राफ सहित पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पैन कार्ड एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित आयु, वर्तमान/स्थायी निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्रस्तुत करेगा. जांच पश्चात् मूल प्रतियां आवेदक को वापस कर दी जायेगी."

स्पष्टीकरण :- शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर अथवा कोर्ट फीस टिकिट/एडहेसिव टिकिट का उपयोग कर अथवा फ्रैंकिंग विधि से तैयार किया जा सकता है.

(8) नियम 10 में शब्द समूह "सहायक आयुक्त आबकारी" के पश्चात् शब्द समूह "उपायुक्त आबकारी" जोड़ा जावे.

(9) नियम 11(क) के स्थान पर निम्नांकित नियम 11(क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :-

11(क) —"अनुज्ञप्तिधारी का चयन :-(क) देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिए "ऑन-लाईन" प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों "की सूची में से पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची" समिति के सदस्य सचिव, द्वारा तैयार की जाकर चयन करने के पूर्व सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जावेगी, जिसे समिति के अध्यक्ष की सहमति/अनुमति पश्चात् कलेक्टर/जिले के उपायुक्त आबकारी/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर एवं आबकारी विभाग की वेबसाईट, www.excise.cg.nic.in पर प्रदर्शित की जावेगी."

(10) नियम 11 (ख) में शब्द समूह "उक्त समिति" के पश्चात् शब्द समूह "ऑन-लाईन प्राप्त" जोड़ा जावे तथा शब्द समूह "एक से अधिक" के पश्चात् शब्द समूह "ऑन-लाईन" जोड़ा जावे.

(11) नियम 12 में शब्द समूह "सहायक आबकारी आयुक्त" के स्थान पर शब्द समूह "सहायक आयुक्त आबकारी" प्रतिस्थापित किया जावे तथा इसके पश्चात्, शब्द समूह "उपायुक्त आबकारी" जोड़ा जावे.

(12) नियम 13 में शब्द समूह "प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टरों" के पश्चात्, शब्द समूह "उपायुक्त आबकारी" जोड़ा जावे तथा शब्द समूह "अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं" के पश्चात् शब्द समूह "उपायुक्त आबकारी" जोड़ा जावे.

(13) नियम (20-क) में शब्द समूह "व्ययन के फलस्वरूप स्थानांतरित" के पश्चात् चिन्ह एवं शब्द "/हस्तांतरित" जोड़ा जावे तथा शब्द समूह "तथा स्थानांतरित" के पश्चात् चिन्ह एवं शब्द "/हस्तांतरित" जोड़ा जावे.

2. उक्त संशोधन दिनांक 01 अप्रैल 2014 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.